



संलग्नक-

**प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का Entire Tree Transplant (ETP) योजना हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र ।**

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र को वर्ष 1972 में आदेश संख्या 4887(2)/ 14-2-794 / 72 दिनांक 2-9-72 द्वारा 6.394 हेक्टेयर वन भूमि, रिहन्द पावर स्टेशन से रेणुकूट प्लांट तक 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण करने हेतु 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1972 से 31.03.1997 तक) लीज पर आवंटित किया गया था। उक्त वनभूमि का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/04/2074 /2000/एफ.सी./726 दिनांक 06.10.2000 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 774/ 14-2-2000-749/72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक ) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था । लीज पर दी गयी उपरोक्त 6.394 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः आगामी 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है । प्रस्तावित क्षेत्र पर वर्ष 1972 से 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित है, अतः वृक्षों के पातन/ Transplant की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्रस्तावित क्षेत्र में Entire Tree Transplant (ETP) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जो भी शर्त लगायी जायेगी उसका अनुपालन करने हेतु हिण्डालको संस्थान बचनबद्ध है।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)  
Authorized Signatory)



Hindalco Industries Limited

P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400-093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238